Academic Deptt.

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 07 वीं बैठक

दिनांक 17/11/2011

दिन – गुरूवार

स्थान :– मुख्यालय बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 7 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की विद्या परिषद् की 07 वी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 17/11/2011 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 10 में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. ए. आर. चद्रांकर** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

2. **डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी** – सदस्य
   निदेशक
   स्कूल ऑफ एजुकेशन
   इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली

3. **डॉ. मनीष श्रीवास्तव** – सदस्य
   प्रवाचक (अंग्रेजी विभाग)
   गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

4. **डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव** – सदस्य
   विभागाध्यक्ष (गणित विभाग)
   शास. स्वशासी कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

5. **डॉ सुरेश शुक्ला** – सदस्य
   इतिहास विभाग
   शास. स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महा. बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

6. प्रो. एस के जाधव — सदस्य
विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

7. **डॉ. टी. एल वर्मा** — सदस्य
विभागाध्यक्ष
शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

8. **डॉ. अमित खासकलम** — सदस्य
व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष (सूचना प्रौद्योगिकी)
गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

9. **श्री रमेश नैयर** — सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)

10. **डॉ. श्रीमती इन्दु अनंत** — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

बैठक प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम कुलपति के द्वारा विद्या परिषद् के नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत एवं निवृत्तमान सदस्यों श्री हरीश केडिया, अध्यक्ष छ.ग. लघु एवं सहायक उद्योग संघ, डॉ. अशोक पारेख, पूर्व अध्यक्ष, छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर, श्री गौरीशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष, खनिज विकास निगम, रायपुर, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़

विधान सभा, डॉ. यू. सी. पाण्डेय, क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र जबलपुर के सकारात्मक योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव के द्वारा निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव क्रं. 1 विद्या परिषद् की छठवीं (आपात) बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से छठवीं (आपात) बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 बी.पी.पी. पाठयक्रम की न्यूनतम अवधि बढ़ाकर 6 माह से 1 वर्ष किये जाने पर विचार।

निर्णय – कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बी.पी.पी. सेतु पाठ्यक्रम है, जो मूलतः इग्नू पर आधारित है। छ.ग.शासन द्वारा इस पाठयक्रम को अंशकालीन पाठयक्रम मानते हुये पंजीकृत छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति में असमर्थता व्यक्त की गई है।

विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लेते हुये छात्रहित में बी.पी.पी. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने की सैद्वांतिक सहमति प्रदान की गईं, साथ ही बी.पी.पी. पाठ्यक्रम के अंतर्गत पठित विषय गणित, वाणिज्य एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन मंडलों को उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय को Modified करने हेतु प्रेषित की जावें।

प्रस्ताव क्रं. 3 छात्र श्री गज्जू राम कन्नौजे के पीजीडीसीए परीक्षा परिणाम जारी करने पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण पश्चात् निर्णय लिया गया कि छात्रहित में श्री गज्जू राम कन्नौजे के पीजीडीसीए पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम घोषित किया जावें, लेकिन इसें भविष्य के लिये उदाहरण न बनाया जावें।

प्रस्ताव क्रं. 4 छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों एवं भोज मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के इस विश्वविद्यालय में प्रवेश दिये जाने पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किये हुये छात्रों को क्रमशः उत्तरोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिया जावें।

प्रस्ताव क्रं. 5 अधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय पर विचार – छात्र श्री कमलेश कुमार ओझा।

निर्णय : विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण पश्चात् निर्णय लिया गया कि छात्र श्री कमलेश कुमार ओझा के एम.एस.–सी. (गणित) अंतिम का Tabulation Register में अंक उपलब्ध होने पर परीक्षा परिणाम करने पर विचार किया जावें।

प्रस्ताव क्रं. 6 छात्र शोध सेमीनार उपरांत शोध प्रबंध हेतु रिव्यू कमेटी का गठन पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 02 (Research Degree Programme Leading to Doctor of Philosophy (Ph.D.)) की कंडिका 4.2(c) के प्रावधानानुसार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति निम्नानुसार होगी –

1. विद्या परिषद् के सम्मानीय सदस्य (विद्या परिषद् द्वारा नियुक्त) – अध्यक्ष
2. प्रत्येक विषय के लिये विषय–विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामांकित) – सदस्य
3. प्रभारी, अकादमिक विभाग – प्रस्तुतकर्त्ता

विद्या परिषद् के सदस्य डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

प्रस्ताव क्रं.7 बी.एड/डी.एड अध्ययन केन्द्र श्रीराम शिक्षा महाविद्यालय राजनांदगांव एवं विश्वभारती शिक्षा महाविद्यालय रायपुर को परिवर्तित करने बाबत्।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर श्रीराम शिक्षा महाविद्यालय राजनांदगावं एवं विश्वभारती शिक्षा महाविद्यालय रायपुर को परिवर्तित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये इसके स्थान पर नये अध्ययन केन्द्र बनाये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 8 अकादमिक वर्ष के निर्धारण के सबंध में।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अकादमिक वर्ष 2010–2011 रखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्रं. 9 सिलेबस एवम् पाठ्यसामग्री पॉच अकादमिक वर्षो के लिये परिवर्तन नहीं किये जाने पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा विचार–विमर्श प्रस्ताव निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों एवम् सिलेबस में पॉच वर्षो तक कोई परिवर्तन नही किया जावें।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित जिन पाठ्यक्रमों में छात्र प्रवेश संख्या 50 से कम होते है, उन पाठयक्रमों को उस अकादमिक सत्र के लिये स्थगित करते हुये प्रवेशित छात्रों को फीस वापसी की जावें।

अंत में अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डॉ. इन्दु अंनत)
कुलसचिव / सचिव

17-11-2011
(डॉ. ए. आर. चन्द्राकर)
कुलपति / अध्यक्ष